Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

बंटवारा वाद सं0– 08 ⁄ 2025 सी.आई.एस.क्र.– 08 ⁄ 2025

सौरभ बनाम संजय कुमार शर्मा

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
11.03.2026	वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। प्रतिवादी की कोई पैरवी नहीं है। वादी की ओर से प्रतिवादी को धारा – 39, नियम – 1, 2 दिवानी प्रकिया संहिता एवं दिनांक 10.03.2026 को प्रस्तुत अंतरिम आदेश पारित करने हेतु आवेदन की प्रति रजिस्टर्ड डाक से प्रतिवादी को प्रेषित कर उसकी रसीद प्रस्तुत किया गया है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10.03.2026 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी के द्वारा यह वाद विभाजन हेतु लाया गया है जिसकी सूचना प्रतिवादी को है परंतु प्रतिवादी जानबूझकर इस वाद में उपस्थित नहीं हो रहे हैं तथा वाद भूमि को विक्रय करने के लिये प्रयासरत हैं। अतः निवेदन है कि इस वाद में प्रतिवादी को उपस्थित होने तक वाद भूमि पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश करने की कृपा की जाये। इस वाद में प्रतिवादी अनुपस्थित हैं। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी की ओर से धारा – 39, नियम – 1, 2 दिवानी प्रकिया संहिता एवं दिनांक 10.03.2026 को प्रस्तुत अंतरिम आदेश पारित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति रजिस्टर्ड डाक से प्रतिवादी को भी प्रेषित है। वादी द्वारा वाद भूमि पर प्रतिवादी के उपस्थित होने तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है। अभिलेख के आदेश फलक के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद में प्रतिवादी की ओर से नकल लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर प्रतिवादी को नकल प्रदान किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी को इस वाद की सूचना है परंतु प्रतिवादी जानबूझकर इस वाद में उपस्थित नहीं हुये हैं। ऐसी दशा में न्यायहित में वाद भूमि को सरंक्षित करने का दायित्व न्यायालय पर है जिस कारण से वादी की ओर से प्रस्तुत अंतरिम आदेश हेतु आवेदन दिनांक 10. 03.2026 को इस निर्देश के साथ **स्वीकृत** किया जाता है कि वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी व्यादेश के आवेदन पर आदेश होने तक उभय पक्ष वाद भूमि पर यथास्थिति (न तो विक्रय करेंगे ना ही भौतिक स्वरूप को परिवर्तित करेंगें) बनाये रखें। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की प्रति संबंधित निबंधन कार्यालय को प्रेषित करें। वाद आगामी दिनांक 18.03.2026 वास्ते उपस्थिति। हस्ताक्षर ह0 ⁄ – अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	